न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, स्थान फतेहगढ़।

वाद संख्या– ५५/2012 धारा–143 ज0वि0अधि0

ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाड़ा तहसील सदर फर्रूखाबाद

कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाजा फर्रूखाबाद द्वारा चेयरमैन डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ फर्रूखाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार आदि।

निर्णय

प्रस्तुत वाद कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाजा फर्रूखाबाद द्वारा चेयरमैन डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ फर्रूखाबाद ने दिनांक 22–05–2013 को इस कथन के साथ संस्थित किया गया है कि ग्राम खारबंदी अंदर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाड़ा स्थित गाटा संख्या–9मि0/0.50, 9मि0/0.03 कुल 0.53 एकड़ से 1/2 भाग यानी 0.265 एकड़, गाटा सं0 16/0.24, 20/0.74, 21/0.16 कुल 1.14 एकड़ से 3/8 भाग यानी 0.427 एकड़ कुल 0.692 एकड़ (2805 वर्गमीटर) भूमि महाविद्यालय के सम्पूर्ण स्वामित्व में एवं भू–राजस्व अभिलेखों में अंकित है। भूमि के समस्त गाटे आपस में संयुक्त रूप से सटे हुए हैं। समस्त भूमि पक्के डांमर मार्ग पर स्थित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त भूमि को लगान रहित (धारा 143) घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। वाद पत्र के समर्थन में शपथपत्र नकल खतौनी 1395–1400 फसली प्रस्तुत की है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सर्वे नायब तहसीलदार घटियाघाट एवं तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद ने वाद पत्र की जांच आख्या क्रमशः दिनांक 27–05–2013 व 03–06–2013 को प्रेषित की है। जिसमें उन्होने उल्लिखित किया है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाड़ा तहसील सदर स्थित गाटा संख्या–9मि0/0.50, 9मि0/0.03 कुल 0.53 एकड़ से 1/2 भाग यानी 0.265 एकड़, गाटा सं0 16/0.24, 20/0.74, 21/0.16 कुल 1.14 एकड़ से 3/8 भाग यानी 0.427 एकड़ कुल 0.692 एकड़ (2805 वर्गमीटर) पर कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाजा फर्रूखाबाद के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है तथा उपरोक्त समस्त गाटे संयुक्त रूप से सटे हुए हैं। उक्त आराजी पर कृषि कार्य नहीं होता है और न ही जोता बोया जाता है। मौके पर खाली पड़ी है। उक्त भूमि पर कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं होता है। उक्त

13/6/13

आराजी धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक/आबादी घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की है।

मैनें पत्रावली पर उपलब्ध सर्वे नायब तहसीलदार घटियाघाट की आख्या दिनांक 29-05-2013 एवं तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद की आख्या दिनांक 03-06-2013 एवं खतौनी 1395-1400 फसली का सम्यक रूप से परिशीलन करने से स्पष्ट है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाड़ा तहसील सदर की उपरोक्त प्रश्नगत आराजी पर कृषि कार्य नहीं होता है और न ही जोता बोया जाता है। मौके पर खाली पड़ी है। उक्त भूमि पर कृषि, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कोई कार्य नहीं होता है। उक्त आराजी पर कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाजा फर्रूखाबाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उत्तर प्रदेश ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाजा फर्रूखाबाद द्वारा डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ़ फर्रूखाबाद चेयरमैन प्रबन्ध समिति के नाम ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाड़ा तहसील सदर की खतौनी 1395-1400 फसली के गाटा संख्या-9मि0/0.50, 9मि0/0.03 कुल 0.53 एकड़ से 1/2 भाग यानी 0.265 एकड़, गाटा सं0 16/0.24, 20/0.74, 21/0.16 कुल 1.14 एकड़ से 3/8 भाग यानी 0.427 एकड़ कुल 0.692 एकड़ (2805 वर्गमीटर) भूमि को ज0वि0अ0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित की जाती है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बागवानी आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद आवश्यक कार्यवाही करेंगे। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद एवं उपनिबन्धक सदर फर्रूखाबाद को तदनुसार भू-अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज हेतु भेजी जाये। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 07-6-13

12/6/13

उप जिलाधिकारी, सदर
फर्रूखाबाद

TRUE COPY

Farrukhabad

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर फर्रूखाबाद

वाद संख्या T-201503240120854/15 धारा–143 ज0वि0अधि0

ग्राम–खारबन्दी अन्दर शहर परगना–पहाडा

कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाला फर्रूखाबाद द्वारा चेयरमैन प्रबन्ध समिति डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ ।

बनाम

सरकार

निर्णय / आदेश

प्रस्तुत वाद कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाला फर्रूखाबाद द्वारा चेयरमैन प्रबन्ध समिति डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ ने इस कथन के साथ संस्थित किया गया है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा स्थित गाटा संख्या 22/0–44 एकड व गाटा संख्या 23/0–09 एकड कुल 2 किता रकबा 0–53 एकड में से 1/4 भाग 0–132 (536–62 वर्गमीटर) व गाटा संख्या 22/0–44 में से 1/2 भाग $14^{3/4}$ एकड व गाटा संख्या 23 रकबा 0–09 एकड में से 1/2 कुल रकबा 0–53 एकड बिकति आराजी $19^{1/4}$ एकड (779वर्गमीटर) भूमि महाविधालय के पूर्ण स्वामित्व में एवं भू राजस्व अभिलेखों में अंकित है । भूमि के समस्त गाटे आपस में संयुक्त रूपसे सटे हुये व एक ही स्थान पर पक्के डामर मार्ग पर स्थित है । उक्त भूमि को धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक / आबादी घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है । वाद पत्र के समर्थन में नकल खतौनी 1395–1400 फसली, नकल सी0एच0 41 व 45 एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

उपरोक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद व सर्वे नायब तहसीलदार घटियाघाट से जांच आख्या वांछित की गई । तहसीलदार सदर ने वाद पत्र की जांच करके जांच आख्या निर्धारित प्रारूप सहित दिनांक 17–10–14 व सर्वे नायब तहसीलदार घटियाघाट की जांच आख्या दिनांक 6–2–14 को प्रेषित की है जिसमें उन्होंने उल्लिखित किया है कि स्थित ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाडा के गाटा संख्या 22/0–44 एकड व गाटा संख्या 23/0–09 एकड कुल 2 किता रकबा 0–53 एकड में से 1/4 भाग कुल 536–62 वर्गमीटर है। गाटा संख्या 22 /0–44 एकड में से 1/2 भाग से $0–14^{3/4}$ एकड व गाटा संख्या 23/0–09 में से 1/2 भाग से $0–19^{1/4}$ एकड कुल 779 वर्गमीटर वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है । उक्त भूमि पर कृषि , बागवानी , कुक्कुटपालन , मत्स्यपालन आदि कोई कार्य नहीं होता है। मौके पर विधालय का भवन बना हुआ है तथा बाउण्ड्रीवाल से घिर हुआ है। भूमि अकृषिक है। उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक / आबादी घोषित किये जाने की आख्या प्रेषित की है ।

मेरे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद की जांच आख्या दिनांक 17–10–14 व सर्वे नायब तहसीलदार घटियाघाट की आख्या दिनाक 6–2–14 एवं नकल खतौनी 1395–1400 फसली का सम्यक रूप से परिशीलन करने से स्पष्ट है कि ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर फर्रूखाबाद परगना पहाडा तहसील सदर फर्रूखाबाद की उपरोक्त प्रश्नगत आराजी पर कृषि , बागवानी , कुक्कुटपालन , मत्स्यपालन आदि कोई कार्य नहीं होता है । उक्त भूमि पर विधालय का भवन एवं बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है । उ0प्र0ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायसंगत होता है ।

Mahendra
18/5/15

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम खारबन्दी अन्दर शहर परगना पहाडा तहसील सदर फर्रूखाबाद की खतौनी 1395–1400 फसली के गाटा संख्या 22/0–44 एकड व गाटा संख्या 23/0–09 एकड कुल 2 किता रकबा 0–53 एकड में से 1/4 भाग कुल 536–62 वर्गमीटर है एवं गाटा संख्या 22 /0–44 एकड में से 1/2 भाग से 0–14$^{3/4}$ एकड व गाटा संख्या 23/0–09 में से 1/2 भाग से 0–19$^{1/4}$ एकड कुल 779 वर्गमीटर भूमि कृष्णा देवी बालिका डिग्री कालेज खंदिया मऊदरवाला फर्रूखाबाद द्वारा चेयरमैन प्रबन्ध समिति डा0 अनार सिंह पुत्र बाबू सिंह निवासी सिविल लाइन फतेहगढ फर्रूखाबाद के नाम है , को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ अकृषिक प्रख्यापित किया जाता है कि यदि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि बागवानी कुक्कुटपालन मत्स्यपालन आदि कृषि से सम्बन्धित कार्य हेतु भूमि का उपयोग किया जाता है तो धारा 144 ज0वि0अधि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अन्तर्गत तत्काल तहसीलदार सदर आवश्यक कार्यवाही करेगें । आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर फर्रूखाबाद एवं उपनिबन्धक सदर फर्रूखाबाद को तद्नुसार भू–अभिलेखों में आवश्यक इन्द्राज हेतु भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

15/08/15

उप जिलाधिकारी,सदर
फर्रूखाबाद

18/05/15

202
16/5/15
18/5/15
18/5/15

TRUE COPY
18-5-15
Reder to S. D. M.
Farrukhabad